संख्या–1275/पांच-9- /2015

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
(प्रभारी जनपदीय नोडल अधिकारी)
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांकः 15 सितम्बर, 2015

विषय :–जनपदों के भ्रमण के समय जिला स्तरीय चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपेक्षित समीक्षा एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासन द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती, सुगम और गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये तथा उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने एवं विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों यथा मातृ–मृत्यु दर, शिशु–मृत्यु दर में कमी लाने एवं पूर्ण प्रतिरक्षण को बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/जिला संयुक्त चिकित्सालय जनपदीय स्तर पर शीष इकाई के रूप में उपलब्ध है। अतः यह सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है कि इन इकाईयों को मानव संसाधन, उपकरण, दवाईयों एवं समस्त सुविधाओं से पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाय ताकि यह इकाईयां गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा सके। इस सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर से समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जनपदों को जारी किये गये हैं एवं तद्विषयक बजट भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु यह अनुभव किया गया है कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न कारणों से इनका सामयिक उपयोग नहीं हो पाता है एवं धनराशि की उपलब्धता के बावजूद मरीजों को जो सुविधायें इन योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जानी हैं वह उन तक नहीं पहुँच पाती है। विभिन्न संकामक रोगों के उपचार को लेकर भी समय–समय पर समाचार पत्रों में खबरे प्रकाशित होती रहती हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि यह इकाईयां जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप कियाशील हों तथा सामान्य परिस्थितियों में इन इकाईयों को मरीजों को रेफरल की आवश्यकता न पड़े एवं केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो।

2– शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शासन स्तर से नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिनों में संलग्न चेक लिस्ट में निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुसार जिला चिकित्सालयों (पुरूष/महिला)/जिला संयुक्त चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चिकित्सालयों के सुदृढीकरण एवं मरीजों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय तथा जिन

कमियों का निराकरण स्थानीय स्तर पर सम्भव है उनका त्वरित निस्तारण करा दिया जाय एवं जिसमें शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो उनमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं अन्य विभागों से समन्वय कर कार्यवाही करा ली जाय, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार की मंशा को पूर्ण किया जा सके। भविष्य में भी जनपदों के निरीक्षण के समय उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा/कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

18/9

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– / तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (संलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (श्री नितिन अग्रवाल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (श्री शंखलाल मांझी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8– महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
11– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला) /जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– /2015

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
(प्रभारी जनपदीय नोडल अधिकारी)
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांकः 18 सितम्बर, 2015

विषय :–जनपदों के भ्रमण के समय जिला स्तरीय चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपेक्षित समीक्षा एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासन द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती, सुगम और गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये तथा उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने एवं विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों यथा मातृ–मृत्यु दर, शिशु–मृत्यु दर में कमी लाने एवं पूर्ण प्रतिरक्षण को बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/जिला संयुक्त चिकित्सालय जनपदीय स्तर पर शीष इकाई के रूप में उपलब्ध है। अतः यह सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है कि इन इकाईयों को मानव संसाधन, उपकरण, दवाईयों एवं समस्त सुविधाओं से पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाय ताकि यह इकाईयां गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा सके। इस सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर से समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जनपदों को जारी किये गये हैं एवं तद्विषयक बजट भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु यह अनुभव किया गया है कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न कारणों से इनका सामयिक उपयोग नहीं हो पाता है एवं धनराशि की उपलब्धता के बावजूद मरीजों को जो सुविधायें इन योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जानी हैं वह उन तक नहीं पहुँच पाती है। विभिन्न संक्रामक रोगों के उपचार को लेकर भी समय–समय पर समाचार पत्रों में खबरे प्रकाशित होती रहती हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि यह इकाईयां जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप क्रियाशील हों तथा सामान्य परिस्थितियों में इन इकाईयों को मरीजों को रेफरल की आवश्यकता न पड़े एवं केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो।

2– शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शासन स्तर से नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिनों में संलग्न चेक लिस्ट में निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुसार जिला चिकित्सालयों (पुरूष/महिला)/जिला संयुक्त चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चिकित्सालयों के सुदृढीकरण एवं मरीजों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय तथा जिन

कमियों का निराकरण स्थानीय स्तर पर सम्भव है उनका त्वरित निस्तारण करा दिया जाय एवं जिसमें शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो उनमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं अन्य विभागों से समन्वय कर कार्यवाही करा ली जाय, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार की मंशा को पूर्ण किया जा सके। भविष्य में भी जनपदों के निरीक्षण के समय उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा/कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1275/पांच-9/2015-11 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (संलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (श्री नितिन अग्रवाल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (श्री शंखलाल मांझी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8– महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
11– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला) /जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

18/9
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

<u>शासन द्वारा नामित जनपद के प्रभारी नोडल अधिकारियों द्वारा जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुः–</u>

1. चिकित्सालय भवन के सामान्य रख–रखाव, रंगाई–पुताई, सफाई एवं शौचालयों की स्थिति। भवन के रख–रखाव मद में शासन स्तर से उपलब्ध धन के उपयोग की स्थिति।

2. सभी चिकित्सालयों को गार्डेनिंग, क्लीनिंग एवं लान्ड्री के मद में शासन/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त धनराशि के सदुपयोग की स्थिति।

3. प्रदेश के 40 अस्पतालों मे क्लीनिंग एवं गार्डेनिंग सेवाओं को यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के माध्यम से आऊटसोर्स किया गया है। इन चिकित्सालयों में अनुबंध के अनुसार सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाय।

4. आपरेशन थियेटर तथा लेबर रूम में साफ–सफाई एवं डिसइंफेक्शन, उपकरणों की उपलब्धता आदि की स्थिति।

5. ओ0पी0डी0 तथा दवा–वितरण स्थलों पर मरीजों को बैठने की समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं ।

6. 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिये क्या व्यवस्था उपलब्ध है ? स्वतंत्र फीडर स्थापित है अथवा निर्माणाधीन है अथवा अभी स्वीकृत नहीं हुआ। जेनेरेटर क्रियाशील है अथवा नहीं तथा डीजल के लिये समुचित बजट उपलब्ध है अथवा नहीं।

7. चिकित्सालय परिसर में स्वच्छ जलापूर्ति की उपलब्ध व्यवस्था, पानी की टंकी की सफाई इत्यादि की स्थिति।

8. चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के लिये की गयी व्यवस्था तथा एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत धनराशि की उपभोग की स्थिति।

9. चिकित्सालयों में मानव संसाधन की उपलब्धता की स्थिति तथा क्या कोई क्रिटिकल गैप है, जिसके कारण अस्पताल में उपलब्ध किसी विशिष्ट सुविधा का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

10. विभिन्न जिला चिकित्सालयों के लिये एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदा पर चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्सेज एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा कर ली जाय। शासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत सेवानिवृत्ति के उपरान्त कतिपय चिकित्सकों को पुनर्योजित किया गया है, इन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की भी समीक्षा कर ली जाय।

11. ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0, प्रतिशत बेड आक्यूपेंसी की स्थिति की समीक्षा।

12. चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता की स्थिति। दवा के स्टाक एवं क्रय को सभी जिला चिकित्सालयों में आन लाइन किया जा चुका है। 292 दवाओं की आर0सी0 भी की जा चुकी है तथा रेट कान्ट्रैक्ट प्रदेश स्तर पर जारी किया जा चुका है। इसकी समीक्षा कर यह देख लिया जाय कि दवायें उपलब्ध हैं अथवा नहीं। आपूर्तिकर्ता को

आपूर्ति आदेश समय रहते दिये जा रहे हैं अथवा नहीं, आपूर्तिकर्ता द्वारा समय से आपूर्ति की जा रही है अथवा नहीं, आपूर्तिकर्ता को समय से भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं तथा जो दवायें आर0सी0 में नहीं हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध किया जा रहा है अथवा नहीं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं कि मरीजों को बाहर से दवा न खरीदने पड़े।

13. चिकित्सालयों में एण्टी रैबीज वैक्सीन तथा एण्टी स्नेक वेनम उपलब्ध है अथवा नहीं।

14. एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, पैथालाजिकल लैब से सम्बन्धित उपकरणों की क्रियाशीलता एवं की जा रही जांचों की स्थिति एवं इनके संचालन के लिये समुचित बजट, एक्सरे फिल्म आदि चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध है अथवा नहीं। डेंगू, जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं अन्य संक्रामक रोगों की जांच हेतु उपलब्ध व्यवस्था।

15. गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं हेतु सिक न्यू बार्न केयर यूनिट यदि स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

16. यदि पोषण पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

17. यदि अर्श क्लीनिक स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

18. ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज यूनिट में मानव संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

19. कतिपय जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 क्रियाशील है एवं कुछ जनपदों में नये आई0सी0यू0 स्वीकृत किये गये हैं, इनके उपयोग की स्थिति।

20. जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं।

21. 102 एवं 108 सेवाओं की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की स्थिति। चिकित्सालयों में स्वयं की एम्बुलेंस की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की स्थिति।

22. अस्पताल में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अन्य मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिये की गयी व्यवस्था एवं धनराशि के उपभोग की स्थिति।

23. शिकायतों के निस्तारण के लिये की गयी व्यवस्था की स्थिति। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के व्यवहार, उपचार, धनउगाही को लेकर कोई विशिष्ट शिकायत तो नहीं है।

24. चिकित्सालयों को विभिन्न मदों में उपलब्ध कराये गये बजट के सापेक्ष उपभोग की स्थिति।

25. कतिपय जनपदों में रोगी आश्रय स्थल चिकित्सालय परिसर में स्वीकृत किये गये हैं। उनके क्रियाशीलता एवं निर्माण की भी समीक्षा कर ली जाय।

26. प्रदेश के 48 चिकित्सालयों में मरीजों की सुविधा के लिये रोगी सहायता केन्द्र हाल ही में क्रियाशील किये गये हैं इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा कर ली जाय।

27. जिला चिकित्सालयों में उच्चीकरण के कार्य एवं 30, 50, 100 शैय्या चिकित्सालय/एम0सी0एच0 विंग/ट्रामा सेन्टर/चीरघर के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

28. कतिपय चिकित्सालयों में मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर से सुविधाओं के विस्तार, सृजन आदि के लिये घोषणायें की गयी हैं, उनके कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा।

29. नवसृजित जनपदों में जिला चिकित्सालय के निर्माण/अवस्थापना की प्रगति।

30. कतिपय जनपदों में एन0पी0सी0डी0सी0एस योजना के अन्तर्गत डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के मरीजों के लिये एन0सी0डी0 सेल की स्थापना की गयी है, इनके कियाशीलता की समीक्षा कर ली जाय।

31. रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठकें हो रही है अथवा नहीं। रोगी कल्याण समिति के विभिन्न खातों में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की स्थिति।

32. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें प्रत्येक माह किये जाने के निर्देश हैं, यह बैठकें हो रही हैं अथवा नहीं, की समीक्षा।